



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2018/माघ 23, 1939

No. 77]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2018/MAGHA 23, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 156(अ).- मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड आधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मसाला बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1992 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1.(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड सेवा (श्रेणीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मसाला बोर्ड सेवा (श्रेणीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में विनियम 6 के उप-विनियम (1) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

3. विनियम 8 के उप विनियम (1) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

4. विनियम 9 के उप विनियम (1) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

5. विनियम 10 के उप विनियम (8) के खंड (ख) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

6. विनियम 14 के उप विनियम (1) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

7. विनियम 26 में, दोनों स्थानों पर "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

8. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पदों और / अथवा श्रेणी का वर्णन	नियोक्ता प्राधिकारी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियाँ जिन्हें वह अधिरोपित कर सकता है (विनियम 7 की मद (i) से मद (ix) तक के संबंध में)		अपील प्राधिकारी	
		प्राधिकारी		शास्तियाँ	
1	2	3	4	5	6
I	समूह 'क' पद	सचिव	सचिव	सभी	केंद्रीय सरकार
II	सभी समूह 'ख' पद	सचिव	सचिव	सभी	केंद्रीय सरकार
III	सभी समूह 'ग' पद	मसाला बोर्ड* का निदेशक या उप सचिव के स्तर का अधिकारी	मसाला बोर्ड* का निदेशक या उप सचिव के स्तर का अधिकारी	सभी	सचिव
IV	सभी समूह 'घ' पद	मसाला बोर्ड* का निदेशक या उप सचिव के स्तर का अधिकारी	मसाला बोर्ड* का निदेशक या उप सचिव के स्तर का अधिकारी	सभी	सचिव

[फा. सं. 5/10/2016- वागान- डी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र में संख्या फा.सं.13/2/88-सतर्कता, तारीख: 10 मार्च, 1992, द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R.156(E).—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), Spices Board hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board Service (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1992, namely: -

- (1). These regulations may be called the Spices Board Service (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2018.
- (2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Spices Board Service (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1992 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 6, in sub-regulation (1), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.
- In regulation 8, in sub-regulation (1), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.
- In regulation 9, in sub-regulation (1), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.
- In regulation 10, in clause (b) of sub-regulation 8, for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.
- In regulation 14, in sub-regulation (1), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.
- In regulation (26), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted in both the places.
- In The schedule of the said regulations, the following shall be substituted, namely:-

Sl.No	Description of posts and/or class	Appointing Authority	Authority Competent to impose penalty and the penalty which it may impose (with reference to item (i) to (ix) in regulation 7)	Appellate Authority	
			Authority	Penalty	
1	2	3	4	5	6
I	Group A Posts)	Secretary	Secretary	All	Central Government
II	All Group B posts	Secretary	Secretary	All	Central Government
III	All Group C posts	Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board*	Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board*	All	Secretary
IV	All Group D posts	Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board*	Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board*	All	Secretary

[F.No. 5/10/2016-Plant-D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jr. Secy.

Note:- The principal regulation was published in the Gazette of India *vide* number F.No.13/2/88-Vig dated the 10th March, 1992.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि.157(अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मसाला बोर्ड नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात्:-

1.(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (संशोधन) नियम, 2018 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मसाला बोर्ड नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 4 में, -

(i) उप नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी;”।

(ii) उप नियम (1) में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(घ) ऐसे छह सदस्य जो मसाला कृषकों का प्रतिनिधित्व करेंगे;”।

(iii) उप नियम (1) क में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त नियम के नियम 6 और 7 में, दोनों स्थानों पर “सचिव” शब्द के स्थान पर “मसाला बोर्ड का निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी” शब्द रखा जाएगा।

4. उक्त नियम के नियम 11 के, उप नियम(i) के, उप-खण्ड (घ) में, “सचिव” शब्द के स्थान पर “मसाला बोर्ड का निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी” शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 11 में, उप नियम(2) के;

(क) खण्ड (i) में, उप खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“बोर्ड के सचिव, जो समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे;”;

(ख) खण्ड (ii) में, उप खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“बोर्ड के सचिव, जो समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे;”;

(ग) खण्ड (iii) में, उप खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“बोर्ड के सचिव, जो समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे;”;

6. अध्याय 3 के शीर्ष में, “अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य” शब्दों के स्थान पर “अध्यक्ष और सचिव की शक्तियां और कर्तव्य” शब्द रखे जाएंगे।

7. नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“14क अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य:

(i) अध्यक्ष बोर्ड का प्रधान होगा;

(ii) अध्यक्ष को बोर्ड के सचिव को छुट्टी प्रदान करने की शक्ति होगी

(iii) अध्यक्ष, बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता करेगा; बोर्ड सदस्यों का त्यागपत्र, यदि कोई हो, स्वीकार करेगा और ऐसी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो भारत सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

14ख सचिव की शक्तियां और कर्तव्य:

सचिव की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और उनके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(i) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर करना;

(ii) बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के कर्तव्य विहित करना और ऐसे पर्यवेक्षण और अनुशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करना जो आवश्यक हों;

(iii) आकस्मिकताओं, प्रदायों और सेवाओं के लिए व्यय मंजूर करना और बोर्ड के कार्यालय के कार्यकरण के लिए अपेक्षित वस्तुओं के क्रय के लिए मंजूरी देना;

(iv) बोर्ड या उसकी किसी समिति से अपेक्षा करने की वह यथास्थिति, बोर्ड या समिति द्वारा किए गए किसी विनिश्चय के अनुसार में कार्यवाही, ऐसे विनिश्चय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्देश तक संबंधित रहने तक, आस्थागित कर देना;

(v) ऐसे विषयों की बाबत विनिश्चय करना जिसकी, यथास्थिति, बोर्ड या समिति द्वारा निपटाए जाने के लिए प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। सचिव द्वारा की गई कार्रवाई को बोर्ड के समक्ष उसके आगामी अधिवेशन में कार्योत्तर अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

(vi) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा उन्हें सौंपे जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना:

परंतु सचिव द्वारा किए गए विनिश्चय को बोर्ड उपांतरित या प्रतिवर्तित कर देता है, तो ऐसे उपांतरण या प्रतिवर्तन, ऐसे उपांतरण या प्रतिवर्तन के पूर्व की गई किसी कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फ़ा. सं. 5/10/2016-बागान-डी]

संतोष कुमार सारंगी, मंयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में, सा.का.नि. 115(अ) तारीख 26 फ़रवरी 1987 के अधीन प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. 636(अ) तारीख 10 सितंबर 2002 के अधीन अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R. 157(E).— In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Spices Board Rules, 1987, namely:-

1. (i) These rules may be called the Spices Board (Amendment) Rules 2018.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Spices Board Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4,-

(i) in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) a Chairman shall be appointed by the Central Government ;”.

(ii) in sub-rule (1), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d) six members to represent growers of spices;”.

(iii) in sub-rule (1) A, for the word “Chairman”, the word “Secretary” shall be substituted.

3. In rules 6 and 7 of the said rules, for the word “Secretary”, the words “Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board” shall be substituted in both the places.

4. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (i), in sub-clause (e), for the word “Secretary”, the words “Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board” shall be substituted;

5. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (2);

(a) in clause (i), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“The Secretary of the Board who shall be the ex-officio Chairman of the Committee;”;

(b) in clause (ii), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“The Secretary of the Board who shall be the ex-officio Chairman of the Committee;”;

(c) in clause (iii), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“The Secretary of the Board who shall be the ex-officio Chairman of the Committee;”;

6. In Chapter III, in the heading, for the words “POWERS AND DUTIES OF CHAIRMAN”, the words “POWERS AND DUTIES OF CHAIRMAN AND SECRETARY” shall be substituted.

7. For rule 14, the following rules shall be substituted, namely:-

“14A Powers and duties of the Chairman:

(i) the Chairman shall be the head of the Board;

(ii) the Chairman shall have power to grant leave to Secretary of the Board;

(iii) the Chairman shall preside over the meetings of the Board; accept resignations, if any, of the Board members and he shall also exercise such other powers as may be specified by the Government of India.

14B Powers and duties of the Secretary:

The Secretary shall have the following powers and duties :-

(i) to grant leave to officers and employees of the Board;

(ii) to prescribe duties of all officers and staff of the Board and exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary;

- (iii) to sanction expenditure for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the office of the Board;
- (iv) to require the Board or any Committee thereof to defer taking action in pursuance of any decision taken by the Board or the committee as the case may be pending a reference to the Central Government on such decision;
- (v) to take decision in respect of matters that cannot wait disposal by the Board or a Committee, as the case may be. The action taken by the Secretary shall be put up to the Board for post facto approval at its next meeting;
- (vi) to perform such duties as may be delegated to him by the Central Government or the Board or Chairman in accordance with provisions of the Act:

Provided that where the Board modifies or reverses the decision taken by the Secretary, such modification or reversion shall be without prejudice to the validity of any action taken before such modification or reversion.”.

[F. No. 5/10/2016-Plant-D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number GSR 115(E) dated the 26th February, 1987 and last amended *vide* number G.S.R. 636(E), dated the 10th September 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि.158(अ).-मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मसाला बोर्ड (गुणवत्ता चिह्नांकन) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1.(1) ये विनियम मसाला बोर्ड (गुणवत्ता चिह्नांकन) संशोधन विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मसाला बोर्ड (गुणवत्ता चिह्नांकन) विनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है), विनियम 3 के उप-विनियम (12) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

(i) विनियम 5 के उप-विनियम (5) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

(ii) उक्त विनियम के विनियम 6 में, -

(क) खंड (v) के लिए, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(v) बोर्ड के दो अधिकारियों के दल द्वारा रिपोर्ट की गई सुविधाओं की पर्याप्तता का निर्णय करने के लिए विशेषज्ञ-पैनल का गठन निम्नानुसार होगा, अर्थात् :-

1	निदेशक अथवा उप सचिव स्तर का अधिकारी, मसाला बोर्ड	अध्यक्ष
2	सचिव द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट निदेशक (विपणन), मसाला बोर्ड अथवा मसाला बोर्ड के विपणन विभाग से कोई अन्य अधिकारी	सदस्य
3	सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट मसाला बोर्ड का एक वैज्ञानिक	सदस्य
4	संबंधित निर्यात निरीक्षण अभिकरण का एक प्रतिनिधि	सदस्य
5	विपणन और निरीक्षण निदेशालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य

पैनल के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा। "

(ख) खंड (vii) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

[फा.सं.5/10/2016-बागान-डी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल विनियम संख्या सा. का. नि. 73(अ) तारीख: 31 जनवरी, 1992 द्वारा प्रकथित किया गया था और संख्या एम डी/गुणवत्ता/लॉगो/01/09, तारीख: 22 सितंबर, 2009 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R. 158(E).—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Spices Board hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Quality Marking) Regulations, 1992, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Spices Board (Quality Marking) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Spices Board (Quality Marking) Regulations, 1992 (hereinafter referred to as the said regulations), in sub-regulation (12) of regulation 3, for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.

3. In sub-regulation (5) of regulation 5, for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.

4. In regulations 6 of the said regulation,-

(a) for clause(v), the following clause shall be substituted, namely:-

"(v) The following shall be the composition of the Panel of experts for adjudging adequacy of the facilities as reported by the team of the two officers of the Board, namely :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Director or Deputy Secretary level officer, Spices Board | : Chairman |
| 2 | Director (Marketing), Spices Board or any other officer from the Marketing Department of the Spices Board, as nominated by the Secretary. | : Member |
| 3 | A scientist of Spices Board nominated by Secretary. | : Member |
| 4 | A representative of the concerned Export Inspection Agency. | : Member |
| 5 | A representative of Directorate of Marketing and Inspection | : Member |
- The quorum for the panel shall be three."

(b) in clause(vii), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.

[F. No. 5/10/2016-Plant-D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note:- The principal regulations were published *vide* number GSR.73 (E) dated the 31st January, 1992 and last amended *vide* number MD/QLTY/LOGO/01/09 dated the 22nd September, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा. का. नि. 159(अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलायची (अनुज्ञापन और विपणन)(संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987 के, नियम 10 में, -

(क) उप-नियम (1) के खंड (ड) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप-नियम (2) के खंड (छ) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

[फा .सं.5/10/2016-बागान- डी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम संख्या सा.का.नि.116(अ), तारीख 26 फरवरी 1987 द्वारा प्रकाशित किया गया था और संख्या सा.का.नि. 816(अ) तारीख: 18 नवंबर 2014 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R.159(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend in the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, namely :-

1. (1). These rules may be called the Cardamom (Licensing & Marketing) (Amendment) Rules, 2018.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, in rule 10,-

(a) in clause (m) of sub-rule (1), for the word "Chairman" the word "Secretary" shall be substituted.

(b) In clause (g) of sub-rule (2), for the word "Chairman" the word "Secretary" shall be substituted.

[F.No. 5/10/2016-Plant-D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note:- The principal rules was published *vide* number GSR.116(E) dated the 26th February 1987 and last amended *vide* number GSR.816(E) dated the 18th November, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि.160(अ).—केन्द्र सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मसाला बोर्ड (अधिवेशन) नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (अधिवेशन) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मसाला बोर्ड (अधिवेशन) नियम, 1992 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), विनियम 2 में, खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्,
“अध्यक्ष” से “बोर्ड का अध्यक्ष” अभिप्रेत है।
3. उक्त नियम के नियम 5 में, दोनों स्थानों पर, “सचिव” शब्द के स्थान पर “मसाला बोर्ड के निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी” शब्द रखा जाएगा।
4. नियम 8 के उप नियम(1) और उप नियम (2) में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वे शब्द आते हैं, उन स्थानों पर, “सचिव” शब्द रखा जाएगा।
5. नियम 11 के उप नियम(1) में “सचिव” शब्द के स्थान पर “मसाला बोर्ड के निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी” शब्द रखा जाएगा।
6. नियम 12 के उप नियम(3) में “सचिव” शब्द के स्थान पर “मसाला बोर्ड के निदेशक या उप सचिव स्तर के अधिकारी” शब्द रखा जाएगा।
7. नियम 13 के उप नियम(2) में “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा।
8. नियम 15 में, उप नियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
“सचिव ‘कार्यपालक समिति’, ‘इलायची अनुसंधान और विकास समिति’ और ‘मसाला विपणन विकास समिति’ की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सचिव की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इन समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सचिव और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता मसाला बोर्ड के निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी करेगा।”
9. उक्त नियम के नियम 16 में “सचिव” शब्द के स्थान पर “मसाला बोर्ड के निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी” शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 5/10/2016-बागान-डी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R. 160 (E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Spices Board (Meeting) Rules, 1992, namely:-

1. (1) These rules may be called the Spices Board (Meeting) Amendment Rules 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Spices Board (Meeting) Rule, 1992 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-
“Chairman” means the Chairman of the Board”.
3. In rule 5 of the said rule, for the word “Secretary”, the word “Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board” shall be substituted.
4. In sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 8, for the “Chairman” wherever they occur, the word “Secretary” shall be substituted.
5. In sub-rule (1) of rule 11, for the word “Secretary”, the words “Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board” shall be substituted.
6. In sub-rule (3) of rule 12, for the word “Secretary”, the word “Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board” shall be substituted.
7. In sub-rule (2) of rule 13, for the word “Chairman”, the word “Secretary” shall be substituted.
8. In rule 15, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“The Secretary shall preside over the meetings of the ‘Executive Committee’.

‘Research and Development Committee for Cardamom’ and ‘Market Development Committee for Spices’. In the absence of the Secretary, the Vice-Chairman, shall preside over the meetings of these committees and in the absence of Secretary and Vice-Chairman, the Director or Deputy Secretary level officer of the Spices Board shall preside over the meetings.”

9. In rule 16 of the said rules, for the word “Secretary” the word “Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board” shall be substituted.

[F.No. 5/10/2016-Plant- D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jr. Secy.

Note:- The principal rules were published *vide* number GSR.673 (E) dated the 9th July, 1992 and last amended *vide* number GSR No. 116 (E), dated the 24th February 1994.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.19
19:26:06 +05'30'